

सं. 14015/18/2010-अ.भा.से.-1-ख

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली; 3 मार्च 2011

अधिसूचना


माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा की ओ. ए. सं. 19589/2010 (श्री एच. एस. पाबला द्वारा दायर) में दिनांक 29.11.2010 के आदेश के अनुपालन में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, पुनरीक्षण चयन सूची वर्ष 2008 और वर्ष-वार चयन सूची 2008-क और 2009 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर पंजाब राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परिवीक्षा पर, नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत उन्हें पंजाब कैडर में आवंटित करते हैं।

चयन सूची 2008 (2007 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)
1.	गोपाल कृष्ण सिंह
2.	करमजीत सिंह सा
3.	इंद्रजीत सिंह सन्धू
4.	हरमेश सिंह पबला
5.	हरकेश सिंह

चयन सूची 2008-क (2008 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)
1.	रूपिन्दर सिंह रणधावा
2.	पिरथी चन्द्र (अनुसूचित जाति)
3.	मोहिन्दर सिंह (अनुसूचित जाति)




4.	परमजीत सिंह (अनुसूचित जाति)
5.	हरजीत सिंह (अनुसूचित जाति)

चयन सूची 2009 (2009 की रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)
1.	रविन्द्र कुमार कौशिक
2.	मोहिन्दर पाल अरोड़ा

2. यह इस मामले में जारी की गई दिनांक 13 अगस्त 2009 की पूर्व अधिसूचना सं. 22012/18/2008-अ.भा.से.(1) का अधिकरण करती है।



(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)